

न्याय और कानून

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर
जनरल एवं रेसिडिंग अधिकारी)

पूर्व में भी अनेक न्यायाधीश कदाचार के दोषी रहे

भारत के इतिहास में किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का कभी कोई सफल प्रयास नहीं हुआ। अधिकांश दागी न्यायाधीशों ने संसद में कार्यवाही पूरी होने से पहले ही इस्तीफा देने का विकल्प चुना है। उनमें से कुछ को तो अपनी सेवानिवृति या त्यागपत्र के बाद ही आपाधिक आरोपों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल मामला यशवंत वर्मा को लेकर चर्चा में है।

उनके यहां बड़ी मात्रा में नकदी पायी गई थी। जांच के बाद उन्होंने इस्तीफे से इंकार कर दिया और अब मामला महाभियोग की स्थिति में है।

मई को भारत के तल्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खाना ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्राताचार के आरोपों की जांच के लिए गठित तीन न्यायाधीशों की आंतरिक समिति के निष्कर्षों को भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री दोनों को भेज दिया। इस तह की कार्रवाई राष्ट्रीय राजधानी में न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास में लौटी आग के दौरान कठित तौर पर बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी मिलाकर बाद न्यायाधीश द्वारा उन्हें पद से इस्तीफा देने के बाद आरोपी करने से कंतक है। एब गेंद केंद्र सरकार के पाली में है कि वह न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आगे की कार्रवाई करे। लेकिन, न्यायमूर्ति वर्मा वर्मा का मामला पहला नहीं है। इसके पूर्व भी कई बड़ी न्यायाधीशों को कदाचार का दोषी माना गया था।

इन-हाउस प्रक्रिया की उत्तमता सर्वोच्च न्यायालय के 1995 के सी री वर्चिन अध्यक्ष बनाम जरियाएं एम भ्राताचार्जी के फैसले से हुई। तल्कालीन बड़ी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भ्राताचार्जी को श्यामीय बार द्वारा इस्तीफा देने के लिए बहुवर किया गया था। क्रिकेटर, उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी नियमित एक किलाब के लिए देवरी प्रकाशक से अनुमतीहीन रोयल्टी प्राप्त की। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय के तीन जजों और हाई कोर्ट के दो विषय मुख्य न्यायाधीशों की एक समिति ने इन-हाउस जांच के लिए औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित की। इस पैनल ने 1997 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और दिसंबर 1999 में सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अदालत ने इसे कार्रवाई कर दिया। सन् 2014 में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मुख्य न्यायाधीश के पास मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार इन-हाउस प्रक्रिया को छालाने का अधिकार होता, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच प्रक्रिया प्राप्तपात, पूर्वाग्रह या पक्षपात के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है।

जब किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध कोई गंभीर शिकायत की जाती है, तो उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबंधित न्यायाधीश से जवाब मांगना आवश्यक होता है। यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को खिलाफ आरोपों में दम नजर आता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद से इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने को सलाह दे सकते हैं। हालांकि, आर न्यायाधीश इस्तीफा देने के बाद नकार करते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भ्राताचार्जी को महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए आरोपी और अंतरिक समिति के निष्कर्षों के बारे में भ्राताचार्जी के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सूचित करना होता। लोकसभा और राजसभा में महाभियोग की कार्यवाही के बिना किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 218 के अधिनयम के आदेश के बिना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तथ्यावेषण जांच करती है।

राष्ट्रपति ऐसा बाब कर सकता है जब संसद के प्रत्येक सदन में उपरिष्ठत सदस्यों के काम से कम दो-तिहाई बहुपत से प्रस्ताव के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अपनी भी लागू करता है। विशेष रूप से, न्यायाधीश (जांच) अधिनयम, 1986 के तहत, किसी न्यायाधीश के खिलाफ वैध महाभियोग नोटिस प्राप्त करने पर, राजसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को आरोपों की जांच के लिए न्यायाधीशों और एक न्यायाविद की एक समिति का गठन करना होता है।

